

संख्या-76 / 77-3-2021-94भा / 07टीसी

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2021

विषय-उ0प्र0 एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-13240/यूपीडा/1904/20/अधि0 दिनांक 03.12.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु संम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदया विभिन्न श्रेणी के 55 (पचपन) अस्थायी पद को सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। सृजित पदों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.स.	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान सातवें वेतन आयोग में लागू वेतन मैट्रिक्स	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5
01	उप-जिलाधिकारी	03	लेवल-10 (रू0 56,100-1,77,500)	प्रतिनियुक्ति
02	तहसीलदार	12	लेवल-9 (रू0 53,100-1,67,800)	प्रतिनियुक्ति
03	लेखाकार	04	लेवल-6 (रू0 35400-1,12,400)	प्रतिनियुक्ति से अथवा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों/ निगमों से
04	लेखपाल	04	लेवल-10 (रू0 21,700-69100)	छटनीशुदा एवं सरप्लस घोषित कार्मिकों से
05	कंप्यूटर आपरेटर	17	--	आउटसोर्सिंग
06	अनुसेवक	15	--	
	कुल योग	55		

2- उक्त पदों पर होने वाले व्यय को प्राधिकरण द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से ही वहन किया जायेगा तथा शासन द्वारा इस हेतु अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी।

3- क्रमांक-01 से 02 पर उल्लिखित पदों को यथासम्भव प्रतिनियुक्ति से तथा क्रमांक-03 एवं 04 पर उल्लिखित पदों को यथा-संभव प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों से प्रतिनियुक्ति अथवा छंटनीशुदा एवं सरप्लस घोषित कार्मिकों से भरा जायेगा। क्रमांक-5 एवं 6 पर उल्लिखित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-ई-6-185/दस-2021 दिनांक 24.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-76(1)/77-3-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कार्मिक अनुभाग-2/वित्त ई-6/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)

अनुसचिव